10 देशों का समूह है आसियान, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं।

17 वर्षों में आसियान देशों से भारत में 70 अरब डॉलर (करीब पांच लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश हुआ है, जो भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 17 फीसद के बराबर है।

जासूसी कांड पर सरकार और वाट्सएप आमने-सामने

- मैसेजिंग कंपनी ने कहा, मई के बाद सितंबर में भी हमले के बारे में दी थी जानकारी
- आइटी मंत्रालय ने वाट्सएप से मिली जानकारी को बताया अपर्याप्त और अधूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराने के मामले में सरकार और वाट्सएप आमने-सामने आ गए हैं। फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप ने जहां दावा किया है कि उसने सितंबर में भी भारत सरकार को बताया था कि 121 भारतीय उपयोगकर्ताओं को इजरायली स्पाइवेयर पेगासस ने निशाना बनाया है। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वाट्सएप से मिली सूचना अपर्याप्त और अधूरी थी।

सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वाट्सएप ने सरकार द्वारा उससे पिछले सप्ताह पेगासस जासूसी कांड पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर अपना जवाब दे दिया है। इजरायली स्पाइवेयर के जरिये कथित रूप से भारत सहित दुनियाभर में 1400 पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी।

आइटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें वाट्सएप से जवाब मिल गया है और अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है। इस पर जल्द अंतिम राय तय की जाएगी। सरकार को पिछले सप्ताह भेजे जवाब का ब्योरा देने से इन्कार करते हुए वाट्सएप ने बताया कि उसने सरकार को मई में इसकी जानकारी देने के बाद सितंबर में दूसरी बार इसकी जानकारी दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने सितंबर में भेजी सूचना में कहा था कि 121 भारतीय उपयोगकर्ता इस स्पाइवेयर से प्रभावित हैं।

आइटी मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात को माना कि उन्हें पूर्व में भी वाट्सएप से इस बारे में सूचना मिली थी लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मिली सूचना अपर्याप्त और अधूरी थी। साथ ही उसमें काफी अधिक तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में वाट्सएप को भेजे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला है।

वाट्सएप ने बृहस्पतिवार को कहा था कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयों ने दुनियाभर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की। वाट्सएप ने कहा है कि वह इजरायली निगरानी कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि इसी कंपनी ने पेगासस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसके जरिये कुछ इकाइयों के जासूसों ने 1400 लोगों के फोन हैक किए थे। हालांकि, वाट्सएप ने यह नहीं बताया था कि किसके कहने पर लोगों के फोन हैक किए गए।

कंपनी ने कहा था कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग प्रणाली के जरिये उपयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया। वाट्सएप ने इस हमले के बारे में प्रभावित लोगों को जानकारी दे दी थी।

'सोशल मीडिया से जजों को परेशान देखकर होता है दुख'

- यह निंदनीय है और इससे जजों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है : जस्टिस बोबडे
- बोले-हर कोई मोटी चमड़ी वाला नहीं जो अनदेखी करे, जज भी इंसान होते हैं

शरद अरविंद बोबडे फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : न्यायाधीशों की उनके कुछ न्यायिक कार्यों के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना को गंभीरता से लेते हुए देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का कहना है कि जब वह इस वजह से न्यायाधीशों को 'परेशान' देखते हैं तो उन्हें दुख होता है।

जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अनियंत्रित आलोचना न केवल निंदनीय है बल्कि यह न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती है। 63 वर्षीय बोबडे ने कहा कि फैसलों के बजाय न्यायाधीशों की सोशल मीडिया पर आलोचना वास्तव में 'मानहानि' का अपराध है। यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायाधीशों की आलोचना उन्हें परेशान करती है, जस्टिस बोबडे ने कहा, 'एक हद तक। हां। यह मुझे परेशान करती है। यह अदालतों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है और मैं ऐसे न्यायाधीशों को देखता हूं जो परेशान महसूस करते हैं। यह मुझे परेशान करता है। कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। हर कोई मोटी चमड़ी वाला नहीं है जो इसकी अनदेखी कर सके। न्यायाधीश भी सामान्य इंसान होते हैं।'

जज की आलोचना मानहानि : उन्होंने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया में अनियंत्रित आलोचना पर काबू करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, 'हम इस तरह की मीडिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या कदम उठाना है। वे न केवल लांछन लगा रहे हैं बल्कि लोगों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं। उसके ऊपर, यह शिकायत भी है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है।' उन्होंने कहा कि फैसले की नहीं न्यायाधीश की आलोचना करना मानहानि है। सीजेआइ के तौर पर जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 18 महीने का होगा।

समय पर न्याय पहली प्राथमिकता : उन्होंने कहा कि किसी भी न्यायिक प्रणाली की शीर्ष प्राथमिकता समय पर न्याय मुहैया कराना है और इसमें न तो ज्यादा देरी की जा सकती और न ही जल्दबाजी। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी से अपराध में वृद्धि हो सकती है और इससे कानून का शासन भी प्रभावित हो सकता है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि किसी भी न्यायिक प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता न्याय है और किसी भी कीमत पर किसी और चीज के लिए इसका बलिदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यही अदालतों के अस्तित्व का कारण है। न्याय में अनुचित देरी से अपराध में वृद्धि हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में स्थाई पीठ संभव : यह पूछे जाने पर कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की स्थाई संविधान पीठ के गठन का कोई प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि सीजेआइ रंजन गोगोई ने इस पर कुछ विचार रखे हैं। उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि मैं इसे कैसे देखूंगा। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्थाई पीठ होने की संभावना है।' देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों की भारी रिक्तियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मौजूदा सीजेआइ की ओर से उठाए गए कदमों को 'तार्किक अंजाम' तक पहुंचाएंगे।

भारत का नया नक्शा देख चिढ़ा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : भारत सरकार द्वारा जारी देश के नए नक्शे को देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान चिढ़ गया है। इसमें पूरे कश्मीर (गुलाम कश्मीर समेत) को भारत का भू-भाग दिखाया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे भारत का यह गलत और कानूनी रूप से अमान्य नक्शा स्वीकार नहीं है।

भारत ने जम्मू-कश्मीर में ताजा बदलाव को दर्शाते हुए शनिवार को देश का नया नक्शा जारी किया था। इसमें पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर (गुलाम कश्मीर) को जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के अन्य हिस्सों को भारतीय अधिकार क्षेत्र में दिखाने वाले जम्मू-कश्मीर के नए नक्शे को खारिज करता है।

आसियान की मजबूती में भारत का हित : मोदी

पीएम ने कहा ▶ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में है आसियान

कृषि एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर

थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में भारत-आसियान सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के उनके समकक्ष ली हसियन लूंग (बाएं) और थाइलैंड के पीएम प्रयुत चान ओचा। एपी

बैंकाक, प्रेट्र : एक्ट ईस्ट पॉलिसी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र को लेकर भारत के रुख का अहम हिस्सा है और आसियान इसके केंद्र में है। संगठित और आर्थिक रूप से मजबूत आसियान भारत के हित में है। थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में भारत-आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह बात कही। मोदी भारत-आसियान, ईस्ट एशिया और आरसेप सम्मेलनों में हिस्सा लेने यहां पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच जल, थल और वायु हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाना क्षेत्र के कारोबारी और आर्थिक विकास को मजबूती देगा। मोदी ने समुद्री सुरक्षा से लेकर कृषि, इंजीनियरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर आसियान देशों से बातचीत का स्वागत किया।

आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। इसे व्यापार एवं निवेश के लिहाज से वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रभावशाली समूह में शुमार किया जाता है। हाल के दिनों में भारत और आसियान देशों के बीच संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं। भारत और आसियान देशों की कुल आबादी 1.85 अरब है, जो दुनिया की कुल आबादी की चौथाई है और इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.8 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। पिछले 17 वर्षों में आसियान देशों से भारत में कुल 70 अरब डॉलर (करीब पांच लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश हुआ है, जो भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के 17 फीसद के बराबर है।

आसियान देशों ने भारत की भूमिका को सराहा : भारत-आसियान सम्मेलन में आसियान देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दिल्ली की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) ठाकुर सिंह ने कहा, 'आसियान देशों ने क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है और माना है कि भारत की बढ़ती भूमिका क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की कारक है।' सिंह ने कहा कि सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर पर भी चर्चा हुई और सभी पक्षों ने माना कि क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था की जरूरत है। इससे पहले चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग ने भी कहा था कि उनका देश दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आसियान देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे : आसियान देश के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा है। आसियान देश भी इससे सहमत दिखे।

सम्मेलन से इतर मोदी ने थाइलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा से और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। थाइलैंड ने भारत के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने की बात कही है। मोदी और ओचा ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। जोको विडोडो से मुलाकात के दौरान मोदी ने उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने की बधाई दी। साथ ही कहा कि भारत रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और निवेश के क्षेत्रों में इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।

ट्रंप की अनुपस्थिति से चीन के लिए मौका : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ-ब्रायन को भेजा है। पिछले साल उपराष्ट्रपति माइक पेंस सम्मेलन में पहुंचे थे। जानकारों का कहना है कि ट्रंप या पेंस में से किसी के भी उपस्थित नहीं रहने से चीन को क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सांसदों के बंगलों में नई चमकीली थ्री-डी नेमप्लेट लगाएगा सीपीडब्ल्यूडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) दिल्ली में सांसदों के बंगलों पर जल्दी ही नई चमकीली त्रिआयामी (थ्री-डी) तकनीक वाली नेमप्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। सांसदों ने शिकायत की थी कि वर्तमान में लगी नेमप्लेट अंधेरे में नजर नहीं आती हैं।

सीपीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में नार्थ एवेन्यू स्थित बंगलों में उभरे अक्षरों वाली नेमप्लेट लगाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नेमप्लेट लगाने में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया शुरू को चुकी है और निविदा देने के बाद दो महीने में काम पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार नेमप्लेट थ्री-डी तकनीक वाली, एक रंग वाली और एलईडी युक्त होंगी। अधिकारी ने कहा, फैंसी चमकीली नेमप्लेट लगाने का निर्णय सांसदों की शिकायत के बाद लिया गया।

म्यांमार में विद्रोहियों ने दो भारतीयों को बंदी बनाया

नई दिल्ली, एएनआइ : म्यांमार में अराकान आर्मी नामक एक विद्रोही समूह द्वारा दो भारतीय नागरिकों को बंदी बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इन्हें तब पकड़ा गया जब ये सड़क परियोजना पर काम करने के लिए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसी विद्रोही समूह ने म्यांमार के एक सांसद को भी बंदी बनाया था। बता दें कि भारतीय टीम मिजोरम को रखाइन राज्य के सिटवे पोर्ट से जोड़ने वाली सड़क परियोजना पर काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि दो भारतीयों के बंदी बनाए जाने का मामला उनके संज्ञान में आया है। दोनों को विद्रोहियों केचंगुल से छुड़ाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ज्ञात हो कि भारत ने म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

एनआरसी भविष्य के लिए मूल दस्तावेज : सीजेआइ

कहा-आराम कुर्सी वाले टिप्पणीकारों की वजह से असम का विकास प्रभावित

नई दिल्ली में रविवार को एक किताब के विमोचन समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई ने असम में चल रही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया का जोरदार तरीके से बचाव किया है। राष्ट्रीय राजधानी में असम पर एक किताब के विमोचन समारोह में उन्होंने एनआरसी को लेकर स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया न तो नई है और न ही नया विचार है। एनआरसी की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा, इससे पहले असम में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सबके अपने-अपने अनुमान होते थे और इससे भय, घबराहट, हिंसा व अराजकता को बढ़ावा मिलता था। एनआरसी अब भविष्य के लिए मूलभूत दस्तावेज (बेस डॉक्युमेंट) होगा।

सीजेआइ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ही असम में एनआरसी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। सीजेआइ ने 'आराम कुर्सी पर बैठकर टिप्पणी करने वालों' की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि ये बयानबाज जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं और बहुत ही विकृत तस्वीर पेश करते हैं। इससे असम और उसके विकासवादी एजेंडे को नुकसान पहुंचा है।

असम से आने वाले सीजेआइ ने कहा कि एनआरसी न तो 'नया है और ना ही नया विचार है' क्योंकि 1951 में ही यह सामने आया था और मौजूदा कवायद 1951 की एनआरसी को अपडेट करने की ही कोशिश है। सीजेआइ रंजन गोगोई ने ये बातें वरिष्ठ वकील मृणाल तालुकदार की लिखी किताब 'पोस्ट कालोनियल असम (1947-2019)' के विमोचन के मौके पर कहीं।

सीजेआइ गोगोई ने कहा, 'एनआरसी विवादों से मुक्त नहीं है। मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। एनआरसी न तो नया है और न ही कोई नवीन विचार है। 1951 में ही इसके बीज पड़ चुके थे और अगर असम के संदर्भ में बात करें तो 1985 में ही इसकी बुनियाद पड़ गई थी जब असम समझौते पर दस्तखत हुए थे। वास्तव में, मौजूदा एनआरसी 1951 की एनआरसी को ही अपडेट करने की कोशिश है।'

हिमाचल में अब बाहरी भी बन सकेंगे स्कूल लेक्चरर

राज्य ब्यूरो, शिमला

- 396 पदों के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी होंगे पात्र
- तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती पर खड़ा हुआ विवाद

हिमाचल प्रदेश में अब गैर हिमाचली भी स्कूल काडर के लेक्चरर (प्रवक्ता) बन सकेंगे। हालांकि यह पद क्लास थ्री नॉन गजटेड का है और भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। 396 पदों के लिए हो रही भर्ती विवादों के घेरे में आ गई है। इससे पहले राज्य सचिवालय में तृतीय श्रेणी के बाबुओं (लिपिकों) की भर्ती पर खासा बवाल मचा था। चौतरफा विरोध के बाद सरकार को बाकायदा कैबिनेट बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करना पड़ा था। तब सरकार ने इसके लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से दो नवंबर को पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके निर्देश में पांचवें बिंदु में कहा है कि दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। उन्हें इसमें आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि गैर हिमाचली भी लेक्चरर बनने के लिए पात्र होंगे, बेशक वह सामान्य वर्ग की सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी सामान्य श्रेणी के 154 पदों के लिए वह भी पात्र माने जाएंगे। लोक सेवा आयोग की सचिव राखिल काहलों के मुताबिक 22 नवंबर को रात 12 बजे से पहले आवेदन हो सकेंगे।

> गैर हिमाचलियों के लिए नौकरियों के द्वार खोलना सही नहीं है। क्लास थ्री के पदों के लिए दूसरे राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था करना गलत है। महासंघ इसका विरोध करेगा। राज्य में पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
>
> **-विनोद कुमार, अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ विनोद गुट**

बंगाल के राज्यपाल ने कहा, साजिश के तहत की जा रही है मेरी जासूसी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- ममता के फोन टैपिंग के आरोप पर धनखड़ का पलटवार
- कहा, सीएम तो दिवाली पर राज्यपाल को शुभकामनाएं भी नहीं देती हैं

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोन टैपिंग के आरोप पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनके पास क्या सुबूत है यह तो वहीं जानें। कहा, राज्य के व्यवसायी, सियासी नेताओं के साथ ही बड़े अधिकारियों ने मुझे बताया कि साजिश के तहत मेरी जासूसी की जा रही है। यह मेरी निजता का हनन है। धनखड़ यहीं नहीं थमे। उन्होंने कहा कि बंगाल पहला ऐसा राज्य है, जहां राज्यपाल को दीपावली पर मुख्यमंत्री शुभकामनाएं नहीं देतीं और न ही सरकारी समारोहों में उन्हें बुलाया जाता है।

वहीं राज्यपाल की टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि वह राज्यपाल नहीं, बल्कि किसी सियासी दल के नेता हैं। उन्हें उन अधिकारियों के नामों की भी जानकारी देनी चाहिए, जिन्होंने उनसे उनकी निजता के हनन की बात कही है।

यह है मामला : शनिवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनका फोन टैप किया गया और उनके पास इस आरोप को साबित करने को पुख्ता सुबूत भी है। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस मामले को केंद्र के सामने उठाएंगी? उन्होंने कहा कि वहां उठाने के लिए क्या है? सरकार को तो पता है। सरकार ने ही तो कराया है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र के साथ ही अन्य दो राज्यों ने भी उनका फोन टैप कराया है। जिसमें से एक भाजपा शासित राज्य है। हालांकि, उन्होंने राज्यों के नाम नहीं बताए। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने वाट्सएप के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों की जासूसी के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था।

खराब मेडिकल उपकरण पर अब देना पड़ेगा मुआवजा

- सरकार जल्द बनाने जा रही है कानून, निर्माता और आयातक होंगे जिम्मेदार
- पीड़ित मरीजों को मुआवजा मांगने का मिलेगा अधिकार

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : खराब चिकित्सा उपकरणों और प्रत्यारोपण के चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे मरीजों के हित में सरकार जल्द ही एक कानून बनाने जा रही है। इस कानून के बन जाने के बाद पीड़ित मरीज उपकरण बनाने या उसका आयात करने वाली कंपनी से मुआवजा मांगने के हकदार होंगे।

अभी तक दोषपूर्ण प्रत्यारोपण या चिकित्सा उपकरण के चलते परेशानियों का सामना करने वाले मरीजों के लिए मुआवजे का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। चिकित्सा उपकरण (सुरक्षा, प्रभावशीलता और नवाचार) विधेयक, 2019 के नाम से बनने वाले कानून के मसौदे को संबंधित मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए रखा गया है। इसका मकसद देश में निर्मित और आयात किए गए सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों का विनियमन करना है।

प्रस्तावित कानून में खराब चिकित्सा उपकरण के निर्माण या आयात पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें बिना वैध सर्टिफिकेट के चिकित्सा उपकरण बाजार में भेजने पर तीन साल तक कैद या 50 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा का प्रावधान भी किया गया है। चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र पर नजर रखने के लिए प्रस्तावित कानून में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत एक अलग नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। अभी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) दवा और चिकित्सा उपकरण दोनों पर नियंत्रण रखता है।

नई शिक्षा नीति का मसौदा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा, एनसीईआरटी जल्द जारी करेगा दिशानिर्देश

आसान होंगी परीक्षाएं, 2022 तक बदलेगी मूल्यांकन प्रणाली

खास बातें

- सभी छात्रों को स्कूली वर्ष में दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी
- बोर्ड परीक्षाएं समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली होंगी
- छात्र खुद की रुचि के आधार पर पसंदीदा विषय चुन सकेंगे और बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कहा है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली के 'हानिकारक प्रभाव' हैं और वह 2022 तक मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के लिए जल्द दिशानिर्देश तैयार करने वाला है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

बता दें कि एचआरडी मंत्रालय अपनी नई शिक्षा नीति (एनईपी) को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया में है। उसने इसका अंतिम मसौदा भी प्रस्तावित किया है जिसमें बोर्ड परीक्षाओं की गड़बड़ियों को हटाने की बात कही गई है। साथ ही सभी छात्रों को किसी भी दिए गए स्कूली वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। बोर्ड परीक्षाओं को 'आसान' बनाया जाएगा।

एनसीईआरटी करीब 14 साल बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) की समीक्षा कर रहा है। वह यह नई रूपरेखा के साथ तालमेल में मूल्यांकन दिशानिर्देश तैयार करेगा। मसौदे 'मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली के हानिकारक प्रभावों को हटाए जाने की बात कही गई है। मसौदे के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाएं समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली होंगी तथा छात्र खुद की रुचि के आधार पर कई विषयों में से पसंदीदा विषय का चयन कर पाएंगे और उसी में वे बोर्ड परीक्षा भी दे पाएंगे।'

कैबिनेट में पेश किया जाएगा नई शिक्षा नीति का मसौदा : बोर्ड परीक्षा साल में दो बार लेने के विचार पर मंत्रालय ने कहा कि '2020 तक एनसीएफ के साथ-साथ 2022 तक मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए एनसीईआरटी इस संदर्भ में दिशानिर्देश तैयार करेगा।' नई नीति में भारत के सभी मान्यताप्राप्त स्कूल बोर्ड के लिए एक नई नियामक संस्था बनाने की सिफारिश की गई है। इस मसौदे को एचआरडी मंत्रालय ने अंतिम स्वरूप दिया है और अब मंजूरी के लिए इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

सरकार को पहले ही रिपोर्ट सौंप चुका है विशेषज्ञ पैनल : इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में पैनल ने नए एनईपी का मसौदा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को सौंप दिया है। इसके बाद विभिन्न पक्षकारों एवं आम लोगों की राय जानने के लिए मसौदे को सार्वजनिक किया गया। इस पर मंत्रालय को दो लाख से अधिक सुझाव मिले।

1986 में बनी थी शिक्षा नीति : बता दें कि शिक्षा नीति को 1986 में बनाया गया था और 1992 में इसमें संशोधन किया गया। नई शिक्षा नीति बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने चुनावी घोषणापत्र में भी संकल्प व्यक्त किया है। स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थीं तब भी पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी।

परीक्षा केंद्रों में जैमर पर सरकारी नीति का पालन करें विवि

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विवि और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्रों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जैमर लगाते वक्त सरकारी नीति का सख्ती से पालन करें। ज्ञात हो, सरकार ने 2016 में वैधानिक निकायों को इजाजत दी थी कि वे परीक्षा केंद्रों में रेडियो आवृत्ति आधारित उपकरणों के जरिये अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के लिए कम शक्ति वाले जैमर लगा सकते हैं।

आयोग ने कुलपतियों और कॉलेज के प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में कहा, 'आप अपने विवि,कॉलेज में जैमर पर सरकारी नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जैमर लगाने से पहले सचिव (सुरक्षा) से मंजूरी जरूरी है। सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को परीक्षा केंद्रों के लिए कम शक्ति वाले जैमर किराए पर लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी